(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 21/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रूस और तुर्की में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सोडा ऐस" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 अप्रैल, 2013, जिसे सा.का.नि. 258 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत लगाए गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संकलन तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना सं. 07/04/2018-डीजीएडी, दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1 और 5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 08/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 अप्रैल, 2013, जिसे सा.का.नि. 258 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3 पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा अधिसूचना सं. 7/4/2018-डीजीएडी, दिनांक 16 अप्रैल, 2018, जिसे दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत शुरू की गई सनसेट रिव्यू जांच का कार्य पूरा होने तक या 16 अप्रैल, 2019 तक, इनमें से जो भी पहले हो, लागू रहेगी।"

[फा.सं. 354/30/2013-टीआरयू (पार्ट-1)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 8/2013-सीम शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को सा.का.नि. 258 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।